दिनांक: 03 जून, 2021

राजनीतिक दलों द्वारा बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के दौरान एकत्रित धन और व्यय का विश्लेषण

यह रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म

द्वारा प्रकाशित है

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स,
टी- 95, सी.एल. हाउस, II फ्लोर, गौतम नगर,
नियर गुलमोहर कमर्शियल काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली – 110049
दूरभाष - 011 4165 4200

सारांश

प्रस्तावना

- राजनीतिक दलों को अपने चुनाव खर्च का विवरण विधान सभा चुनाव की अंतिम तिथि से **75 दिन** के अंतर्गत चुनाव आयोग में जमा करना होता है |
- व्यय विवरण में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को प्राप्त कुल राशि (नकद, चेक और डी डी में) और दलों का खर्च विवरण (नकद, चेक, शेष बकाया राशि) होता है |
- चुनाव खर्च विवरण में राजनीतिक दलों को केंद्रीय मुख्यालय (**Central Headquarter**) और राज्य स्तर द्वारा किये खर्चों की राशि की जानकारी निम्नलिखित वर्गों में विभाजित हैं :
    - प्रचार
    - यात्रा खर्च
    - अन्य खर्च
    - उम्मीदवारों पर व्यय
    - दलों द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर किया गया व्यय
- राजनीतिक दल चुनाव घोषणा तिथि तथा चुनाव समाप्ति तिथि के बीच प्राप्त धन की सूचना इस ब्यौरे में देते हैं | **यह अवधि चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर तीन सप्ताहों से तीन महीनों के बीच हो सकती है** |
- यह विश्लेषण 2020 के **बिहार** विधान सभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा प्राप्त धन राशि और उनके चुनावी खर्च का अध्ययन है |
- इस रिपोर्ट में **6 राष्ट्रीय दलों** और **11 क्षेत्रीय दलों** पर विचार किया गया है, लेकिन विश्लेषण के लिए **केवल 9 दलों** का ही चुनाव खर्च विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है |
- **सीपीआई, एलजेपी, आरजेडी, आरएलडी, आरएलएसपी, जेडीएस, जेएमएम और एनपीईपी** दलों का चुनाव खर्च विवरण **बिहार** विधान सभा के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी तक उपलब्ध नहीं हैं |

Status of Submission of expenditure statements by political parties during Bihar Assembly Election, 2020						
S.No	**Party Name**	**Party code**	**Date of Submission**	**Central Headquarters**	**Bihar state unit**	**Delay in submission**
1	All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	AIMIM	25 January, 2021	Submitted	Submitted	0 Day
2	Communist Party of India (Marxist)	CPM	27 January, 2021	Submitted	Submitted	0 Day
3	All India Forward Bloc	AIFB	3 February, 2021	Submitted	Submitted	**07 Days**
4	Nationalist Congress Party	NCP	3 February, 2021	Submitted	Submitted	**07 Days**
5	Shiv Sena	SHS	8 February, 2021	Submitted	Submitted	**12 Days**
6	Janata Dal (United)	JDU	17 February, 2021	Submitted	Submitted	**21 Days**
7	Indian National Congress	INC	11 March, 2021	Submitted	Submitted	**43 Days**
8	Bharatiya Janata Party	BJP	16 March, 2021	Submitted	Submitted	**48 Days**
9	Bahujan Samaj Party	BSP	31 March, 2021	Submitted	Submitted	**63 Days**
10	Communist Party of India	CPI	**Expenditure statements for Bihar Assembly Election, 2020 unavailable on website to ECI**			**128 Days**
11	Lok Jan Shakti Party	LJP				**128 Days**
12	Rashtriya Janata Dal	RJD				**128 Days**
13	Rashtriya Lok Dal	RLD				**128 Days**

Status of Submission of expenditure statements by political parties during Bihar Assembly Election, 2020						
S.No	Party Name	Party code	Date of Submission	Central Headquarters	Bihar state unit	Delay in submission
14	Rashtriya Lok Samta Party	RLSP				128 Days
15	Janata Dal (Secular)	JDS				128 Days
16	Jharkhand Mukti Morcha	JMM				128 Days
17	National People's Party	NPEP				128 Days

चुनाव खर्च विवरण में दी गयी जानकारी

प्राप्त धनराशि और उनके चुनावी खर्च : राजनीतिक दल

- **बिहार** विधान सभा चुनाव 2020 में, **9 राजनीतिक दलों** ने कुल **रु 185.14 करोड़** एकत्रित किये और इन दलों का कुल व्यय **रु 81.86 करोड़** रहा |
- सभी राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर **केंद्रीय मुख्यालय** द्वारा **रु 106.16 करोड़** की आय जमा की और **रु 43.256 करोड़** का व्यय किया | **बिहार राज्य इकाई** से दलों ने कुल **रु 38.604 करोड़** का खर्च दर्शाया है |
- **एआईएफबी** और **एनसीपी** दो ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने के बावजूद केंद्रीय और राज्य इकाई स्तर पर कुछ भी व्यय घोषित नहीं किया है |

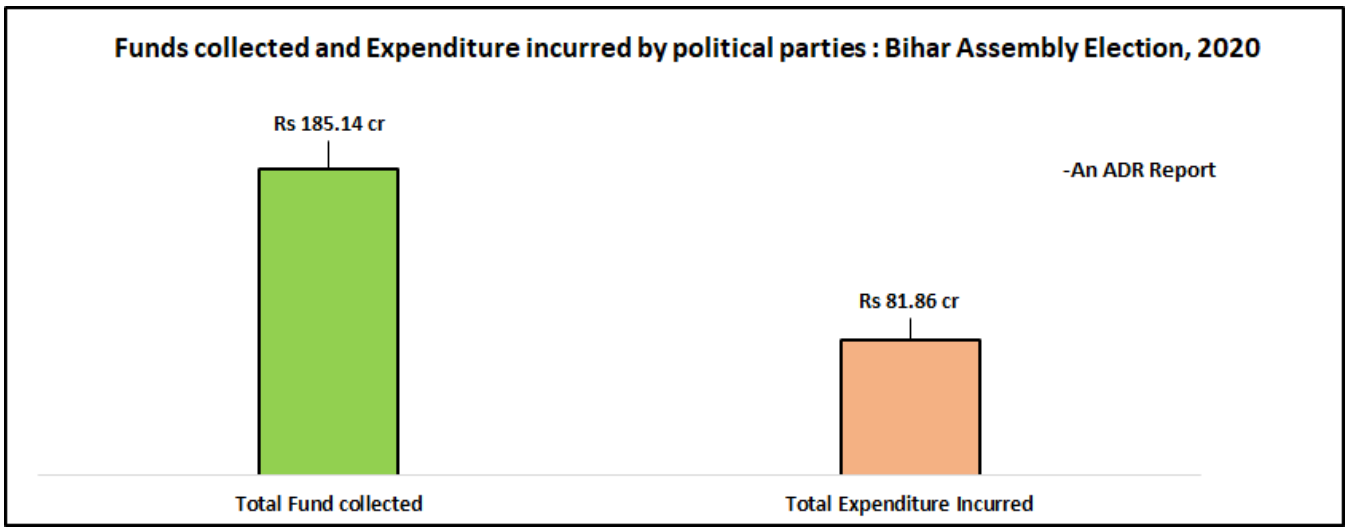

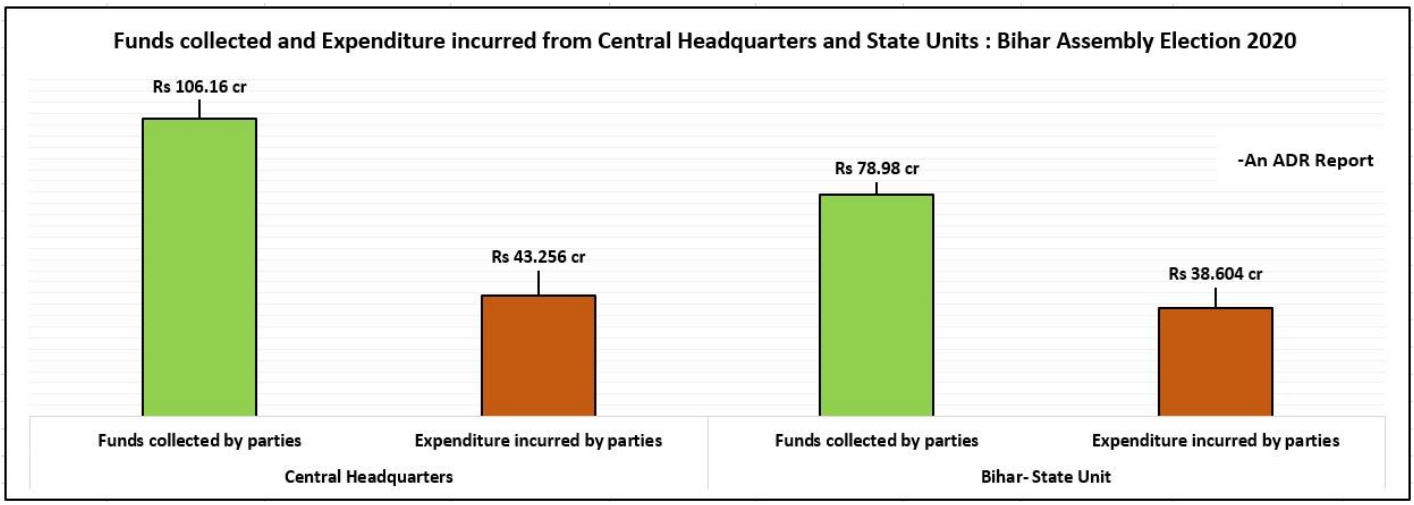

विभिन्न वर्गों के तहत राजनीतिक दलों का व्यय

- चुनाव खर्च विवरण में राजनीतिक दलों को केंद्रीय मुख्यालय और राज्य स्तर द्वारा किये खर्चों की राशि की जानकारी निम्नलिखित वर्गों में विभाजित हैं : प्रचार, यात्रा खर्च, अन्य खर्च, उम्मीदवारों पर व्यय और दलों द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर किया गया व्यय |
- बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के दौरान, राजनीतिक दलों ने **उम्मीदवारों** पर **रु 46.59 करोड़, यात्रा** पर **रु 37.32 करोड़**, **प्रचार** पर **रु 36.73 करोड़, अन्य खर्च** पर **रु 5.50 करोड़** और **दलों द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने** पर **रु 3.899 करोड़** का व्यय अपने चुनाव खर्च रिपोर्ट में घोषित किया है |
- व्यय के विभिन्न प्रमुखों के तहत राजनीतिक दलों ने **उम्मीदवारों** पर सबसे अधिक **35.83%** और **यात्रा** पर **28.70%** का खर्च घोषित किया है |
- **एआईएफबी** एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पांच प्रमुखों के तहत कोई भी खर्च घोषित नहीं किया है |

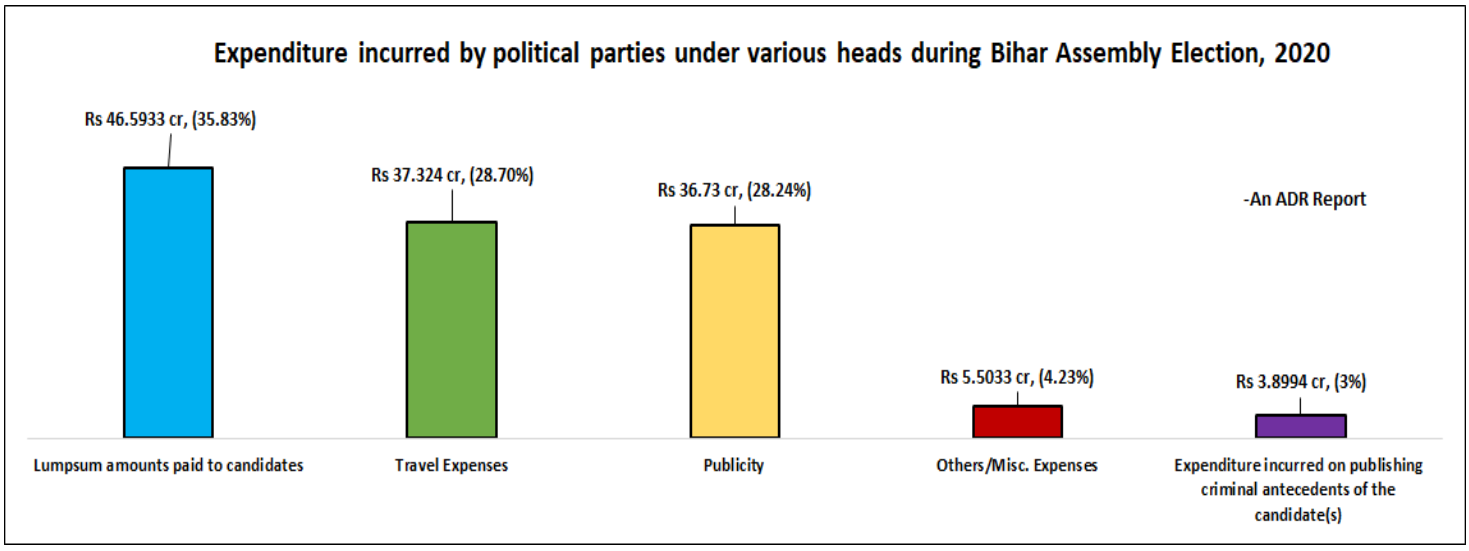

राजनीतिक दलों का प्रचार पर खर्च

- प्रचार खर्च के तहत मीडिया विज्ञापन, प्रचार सामग्री और जन सभा शामिल हैं |
- **प्रचार** के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों ने **बिहार राज्य इकाई** से कुल मिलाकर सबसे अधिक **रु 30.308 करोड़** का खर्च घोषित किया है जो कुल ख़र्च का **82.52%** था इसके बाद **केंद्रीय मुख्यालय** से **रु 6.422 करोड़** या **17.48%** का व्यय घोषित किया है |

Expenses on Publicity during Bihar Assembly Election, 2020			
Total expenditure on Publicity	**Central Headquarters**	**Bihar- State Unit**	**Total Publicity**
Media Advertisement	4.2780	22.27	**Rs 26.548 cr**
Publicity Materials	1.998	2.035	**Rs 4.033 cr**
Public Meetings	0.146	6.003	**Rs 6.149 cr**
Total	**Rs 6.422 cr**	**Rs 30.308 cr**	**Rs 36.73 cr**

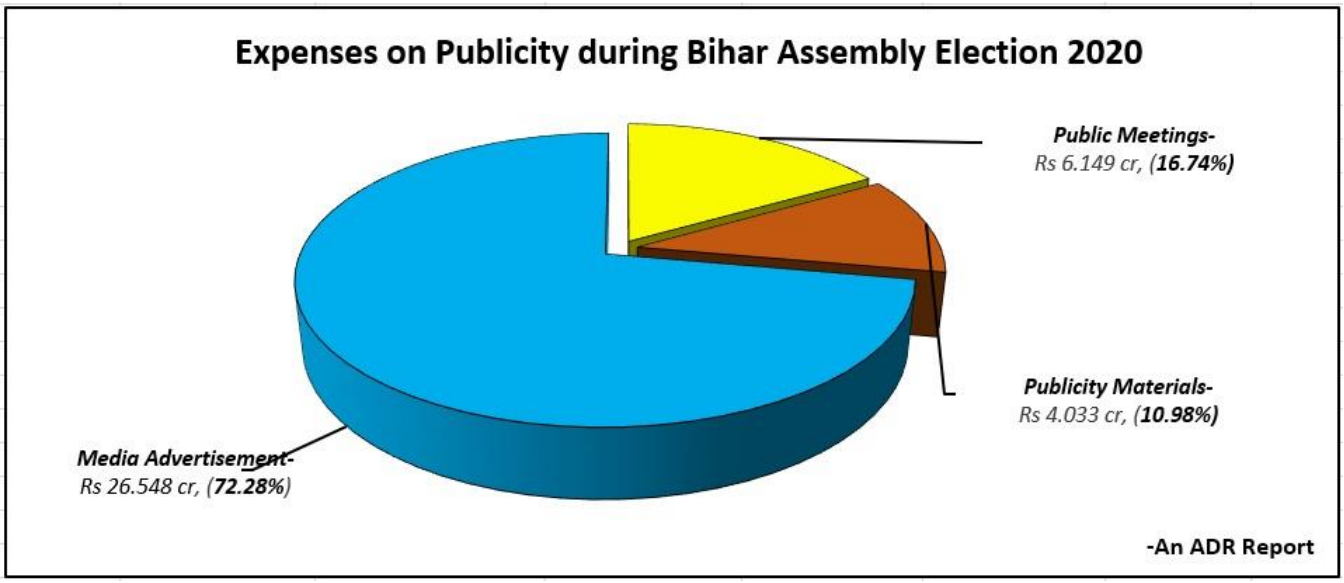

- राजनीतिक दलों ने **मीडिया विज्ञापन** पर **रु 26.548 करोड़** का सबसे अधिक खर्च दिखाया है | इसके बाद **सार्वजनिक बैठक** पर **रु 6.149 करोड़** और **प्रचार सामग्री** पर **रु 4.033 करोड़** खर्च दर्शाया है |

राजनीतिक दलों का यात्राओं पर खर्च

- यात्रा खर्च में **स्टार प्रचारक** और '**पार्टी लीडर्स**' के यात्रा खर्च शामिल हैं |
- राजनीतिक दलों ने अपने **यात्रा** पर किये कुल खर्च में से **98.12%** या **रु 36.621 करोड़** अपने **स्टार प्रचारकों** पर और अपने **पार्टी के अन्य नेताओं** की यात्रा पर **रु 70.30 लाख (1.88%)** का खर्च दर्शाया है |
- **यात्रा** में केंद्रीय मुख्यालय से राजनीतिक दलों ने **86.52%** (**रु 32.291 करोड़**) खर्च किया जो **बिहार राज्य इकाई** की राशि से छह गुना से भी अधिक है | **बिहार राज्य इकाई** से दलों ने **13.48%** (**रु 5.033 करोड़**) का खर्च दर्शाया है |

Expenses on Travel during Bihar Assembly Election, 2020			
Total Expenditure on Travel	**Central Headquarters**	**Bihar- State Unit**	**Total Travel**
Star campaigners	32.286	4.335	**Rs 36.621 cr**
Party leaders	0.0049	0.698	**Rs 0.703 cr**
Total	**Rs 32.291 cr**	**Rs 5.033 cr**	**Rs 37.324 cr**

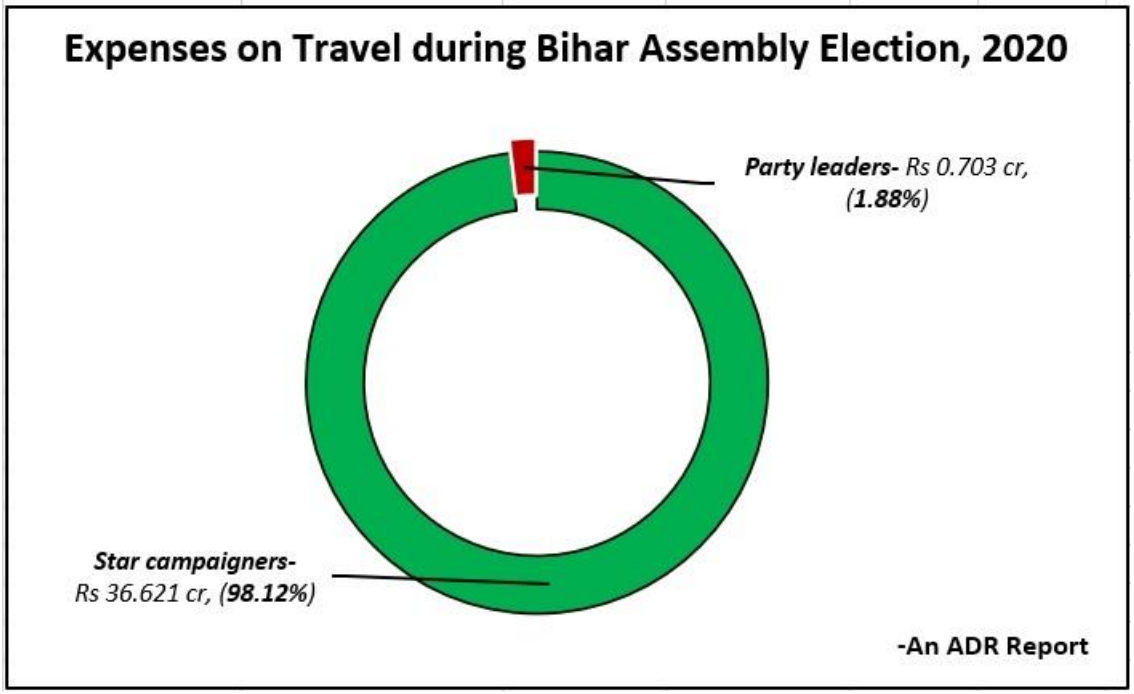

बिहार विधानसभा चुनाव 2015 से खर्च की तुलना

- बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान, **बीजेपी** ने अन्य दलों की तुलना में सबसे अधिक **रु 51.66 करोड़** की धनराशि एकत्रित की थी, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान **बीजेपी** ने **रु 35.83 करोड़** की आय घोषित की है जो **जेडीयू** (रु 55.607 करोड़), **बीएसपी** (रु 44.581 करोड़) और **कांग्रेस** (रु 44.536 करोड़) के बाद चौथी सबसे बड़ी धनराशि है |
- बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में, सभी दलों का कुल व्यय **रु 150.99 करोड़** था जिसमें से **बीजेपी** ने सबसे अधिक **रु 103.76 करोड़** का खर्च घोषित किया, उसके बाद **समाजवादी पार्टी** ने (रु 15.65 करोड़), **जेडीयू** ने (रु 13.63 करोड़) और **कांग्रेस** ने (रु 9.88 करोड़) की धनराशि खर्च की थी | लेकिन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान **बीजेपी** ने ही सबसे अधिक **रु 54.721 करोड़** का खर्च दर्शाया है, उसके बाद **कांग्रेस** ने रु 12.352 करोड़, **जेडीयू** ने रु 9.851 करोड़ और **बीएसपी** ने रु 4.794 करोड़ का व्यय घोषित किया है |
- 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव लड़े राजनीतिक दलों ने **प्रचार** के माध्यम से सबसे अधिक **रु 74.97 करोड़** की राशि खर्च की थी, इसके बाद **यात्रा व्यय** पर **रु 59.32 करोड़**, **उम्मीदवारों के भुगतान** पर रु **46.618** करोड़ और **अन्य/विविध खर्चों** पर **रु 9.902 करोड़** की राशि घोषित की थी |
- इसके विपरीत 2020 बिहार चुनाव में, राजनीतिक दलों ने **उम्मीदवारों के भुगतान** राशि पर सबसे अधिक **रु 46.5933 करोड़** का खर्च घोषित किया है जो दलों द्वारा कुल खर्च का **35.827%** है, इसके बाद **यात्रा खर्च** पर कुल **रु 37.324 करोड़** (28.70%) की राशि और **प्रचार** पर दलों ने कुल मिलाकर **रु 36.73 करोड़** (28.243%) का व्यय घोषित किया है |

एडीआर के अवलोकन

- **सीपीआई, एलजेपी, आरजेडी, आरएलडी, आरएलएसपी, जेडीएस, जेएमएम और एनपीईपी** दलों ने 2020 में बिहार विधान सभा चुनाव लड़ा था लेकिन इन दलों का चुनाव खर्च विवरण आज तक (**128 दिनों** के बाद भी) चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है | जबकि यह उच्चतम न्यायलय द्वारा 4 अप्रैल, 96 को (Common Cause vs. Union of India) दिए गए फैसले का उलंघन है, इस निर्देश में चुनाव आयोग को बोला गया था कि आयोग उन सभी मान्यता प्राप्त दलों के विवरण के लिए एक प्रारूप तैयार करे |
- सात राजनीतिक दल, **एआईएफबी**, **एनसीपी**, **शिवसेना**, **जेडीयू**, **कांग्रेस**, **बीजेपी** और **बीएसपी** दलों ने **विधान सभा चुनाव 2020** के लिए अपना चुनाव खर्च विवरण **चुनाव आयोग** को क्रमशः **07 दिनों**, **07 दिनों**, **12 दिनों**, **21 दिनों**, **43 दिनों**, **48 दिनों** और **63 दिनों** की देरी के बाद जमा किया है |
- **एआईएफबी** और **एनसीपी** दो ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने के बावजूद कुछ भी व्यय घोषित नहीं किया है |

एडीआर की सिफारिशें

- हाल ही में, 9 कार्यकारी समूहों (जिनमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग के अन्य अधिकारी शामिल थे) ने चुनाव आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किये थे, जिनके बीच यह सुझाव दिया गया था कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए किए जाने वाले व्यय पर एक खर्चसीमा की आवश्यकता है | वर्ष 2015 में भी चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को यह सिफारिश दी थी | एडीआर की सिफारिश है कि इस संबंध में कदम उठाये जाने चाहिए और समयबद्ध तरीके से तौर-तरीकों पर काम किया जाना चाहिए |
- सभी राजनीतिक दलों को अपने व्यय का विवरण चुनाव आयोग को निर्धारित समय सीमा के भीतर, दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना चाहिए | समय पर या निर्धारित प्रारूप में जो राजनीतिक दल अपने चुनाव खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं करते है उनको सज़ा दी जानी चाहिए।
- उन सभी दानदाताओं की जानकारी और योगदान का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए जिन्होंने चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को दान राशि दी हो |
- सभी राजनीतिक दलों को वार्षिक दान रिपोर्ट कि तरह चुनाव अवधि के दौरान प्राप्त चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग को जमा करना चाहिए जिससे वित्तीय पारदर्शिता और काले धन का असर कम हो |
- जिस तरह से उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के चुनाव समीक्षक होते हैं उसी तरह से राजनीतिक दलों के खर्च की निगरानी के लिए भी समीक्षक होना चाहिए।
- अधिक वित्तीय पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों को केवल चुनावी खर्च विवरण ही नहीं बल्कि दी गयी समय सीमा के अंतर्गत जमा करना चाहिए | चुनाव आयोग को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों अपने खर्च का पूरा और सही बयान दाखिल करने से ही सार्वजनिक जाँच हो पायेगी |

अस्वीकरण

रिपोर्ट में इस्तेमाल (चुनावी खर्च विवरण) सभी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट में राजनीतिक दलों के पेज https://eci.gov.in/candidate-political-parties/expenditure-reports/expenditure-reports/ से लिया गया है |

रिपोर्ट बनाते समय डाटा की सत्यता का पूरा ध्यान रखा गया है | यदि रिपोर्ट में दी गयी जानकारी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई त्रुटि पायी जाती है तो राजनीतिक दलों द्वारा जमा किये गए चुनावी खर्च विवरण ही ठीक माना जायेगा | एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म और उनके स्वंयसेवक जिम्मेदार नही होंगे |

सम्पर्क

बिहार राज्य के कोऑर्डिनेटर

Mr. Rajiv Kumar
+91-93343-76048
+91-96319-76889
rajivkumar_patna@rediffmail.com

नेशनल इलेक्शन वाच (NEW) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org	**Maj Gen Anil Verma (Retd)** Head - NEW & ADR +91 8826479910 anilverma@adrindia.org	**Prof Jagdeep Chhokar** IIM Ahmedabad (Retd) Founder Member- NEW & ADR +919999620944 jchhokar@gmail.com	**Prof Trilochan Sastry** IIM Bangalore Founder Member – ADR & NEW +919448353285, tsastry@gmail.com